

## उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B1739 / जबलपुर, दिनांक 23/03/2021  
दो-14-9/83 बैंच

श्रीमती अंजू शर्मा, कोर्ट अटेंडेंट/रुम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को 'सेंट जॉनसन स्कूल, ग्वालियर' के माध्यम से म.प्र. बोर्ड की 10वीं की परीक्षा वर्ष 2020-2021 में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B1740 / जबलपुर, दिनांक 23/03/2021  
दो-14-9/83 बैंच

### प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 815/स्था./ ग्वालियर, दिनांक 18.01.21 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/ कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाइट रजिस्ट्रार (एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्रीमती अंजू शर्मा, कोर्ट अटेंडेंट/रुम अटेंडेंट/अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शिता स्थापन)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)